Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table.

GOVERNMENT BILLS - *Contd.*

The Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009 (contd.)

DR. K. P. RAMALINGAM (Tamil Nadu) :* Hon'ble Deputy Chairman Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. Co-operative sector and agriculture are vital for the growth of our nation. Hon'ble Minister of Agriculture has brought this bill, the Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009 with respect to co-operative societies. I welcome this amendment bill. India's independence and its unity are based on co-operative sector. All of us have to agree with this view. Mr. Sudarsana Natchiappan, Hon'ble Member from the Congress Party stated that this is a wonderful bill and that this bill should be welcomed and that it has been brought at the right time. I agree to his view. This is a very good bill. It has to be welcomed. It has been designed to strengthen the co-operative sector. The Government is making efforts to strengthen Indian agriculture. This bill has been brought with a view to giving a boost to agriculture.

But, at the same time, I would like to mention that it will be better if the amendments were of advisory nature to the State Governments. The Central Government can express its opinion and can advice about certain departments that are under the control of the State Governments. The Centre can prescribe ways of functioning in an effective manner.

But, on the other hand, I am afraid that this will lead to an attitude which expects that all the powers have to be centralized and that everything has to be under the control of the Central Government. This will lead to a mindset that the Centre has to exercise all powers.

In this amendment it is mentioned in the 'Statement of Objects and Reasons' that co-operative sector is under the control of the State Government. I quote, "The 'co-operative societies' is a subject enumerated in Entry 32 of the State List of the Seventh Schedule of the Constitution and the State Legislatures have accordingly enacted legislations of co-operative societies". Sir, it is very clearly mentioned here that co-operatives societies come under the control of the State Governments.

I have a doubt as to what is the need to bring this bill now? I am not going to ask why this bill

*English version of the original speech made in Tamil.

has to be brought. I will not say that this bill should not be brought or that this bill should be withdrawn, as demanded by some other Members of this House.

I would like to ask whether this amendment is necessary at this time. If so, will it not deprive the State Governments of their power? If the State Governments are deprived of all of their powers gradually, I fear that it will lead the State Governments to demand autonomy.

Each and every amendment has to be aimed at making the State Governments powerful. The State Governments have to be strengthened irrespective of the parties that are in power. The State Governments' rights should be protected whether we rule the state or some other party rules the state.

If the State Governments are powerful and stable, only then can the Central Government also be powerful. Only then can our nation be protected from any external aggression. I am afraid that this bill may erode the strength of the State Governments. I want to clarify this point to the Hon'ble Minister.

I would like to make it clear that our nation is functioning in a federal set up. Federal structure has to be honoured. It does not matter whether it is the rule of one party or of multi-parties or of autonomy or a Union Government at the Centre and obedient Governments at States, it has to be clear that our nation is functioning in a federal set up. In a federal structure, the powers of the State Governments have to be given due regard. They should not be deprived of their rights.

Primary Agricultural Co-operative Societies (PACS) are functioning in rural areas. They function like rural banks. I am afraid that this amendment will affect their growth. Such deficiencies should not be nurtured. Another amendment may also be brought to overcome shortcomings. However, we are in a position to welcome this bill and we welcome this bill. With these words, I conclude my speech. Thank you.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): आदरणीय उपसभापति जी, यहां कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल पर चर्चा चल रही है। गुजरात कोऑपरेटिव मूवमेंट में नम्बर एक पर है। हमारे राज्य में मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट चलता है, जिसके तहत हमारे यहां अमूल जैसी जो संस्थाएं हैं, वहां से पूरे देश को दूध की आपूर्ति होती है। गुजरात के लोग यह महसूस करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है - 'सहकारिता'। सहकारिता के कारण ही इकोनॉमी में लाभ होता है, जिससे छोटे-छोटे लोगों को भी रोज़ी-रोटी मिलती है। लेकिन जब स्थायी लोग उस पर कब्जा जमा

कर बैठ जाते हैं, उन्हीं के कारण कोऑपरेटिव मूवमेंट बदनाम होता है। इसे तोड़ने की आवश्यकता है। आज केन्द्रीय सरकार ने पहली बार इस तरफ ध्यान दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं और इस बिल का समर्थन करते हैं। पवार साहब स्वयं भी कोऑपरेटिव मूवमेंट के ही आदमी हैं। गन्ने के कोऑपरेटिव में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमें केवल दो-तीन बातों का ध्यान रखना है।

पहली बात इसके चेयरमैन से संबंधित है। हमारे यहां गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन को एक टर्म से ज्यादा एलाऊ ही नहीं किया जाता है, क्योंकि जब उसमें उनका स्थायी हित बन जाता है, वहीं से सब गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसलिए उनके टर्म का रोटेशन होना चाहिए, जिससे सुपरसैशन और इलेक्शन की नियमितता बढ़े। इस बिल को भी इसीलिए लाया गया है, इसलिए इसका चेयरमैन बार-बार रिपीट न हो। एक ही व्यक्ति 15-20 साल तक कोऑपरेटिव पर कब्जा जमा कर बैठा रहे, यह नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि कोऑपरेटिव के प्रति सरकार की मंशा सद्भावना वाली होनी चाहिए। आपके एक पूर्वमंत्री ने कोऑपरेटिव अर्बन बैंक को इन्कम टैक्स के अंतर्गत लाया था। पहली बार यूपीए सरकार ही कोऑपरेटिव अर्बन बैंकों को इन्कम टैक्स के अंतर्गत लाई थी। इसके लिए हम उनसे मिलने भी गए, तो उन्होंने बताया कि 'All are Cheats'. इसका मतलब तो यह हुआ कि आपकी मानसिकता ऐसी है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट चल ही न पाए। सब लोग छेतरपिंडी करने वाले हैं, यदि सरकार की ऐसी ही धारणा है तो वह गलत धारणा है। कोऑपरेटिव में जितना एनपीए होता है, उतना एनपीए आपके नैशनलाइज्ड बैंक में भी होता है। वहां भी आज तक एनपीए का हिसाब करने वाला कोई नहीं है। अगर कोऑपरेटिव में छोटा-बड़ा कोई घपला होता है, तो उसकी चर्चा बार-बार होती है। इस तरह कोऑपरेटिव बैंक को मारने की कोशिश हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि कुछ स्थानों पर छोटी-छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे हमारे गुजरात में सखी मंडल हैं। गुजरात में महिलाओं की रोज़ी-रोटी बढ़ सके, इसके लिए 20-20 महिलाओं की एक कोऑपरेटिव मंडली होती है, जिसे हम सखी-मंडल बोलते हैं। आज गुजरात में 75,000 रजिस्टर्ड सखी-मंडल स्थापित हो गए हैं, जो 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर करते हैं। अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उस ओर ध्यान दे तो इनके माध्यम से करोड़ों का कारोबार हो सकता है, जिससे महिलाएं और अधिक स्वावलम्बी बन सकती हैं। इसमें इस प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं।

मेरा अनुरोध है कि इस बिल में जो प्रोविज़न किया गया है, उसमें नियमितता बनी रहे, कोई घपला न हो, इसे देखने की आवश्यकता है। इसके लिए यहां पर अलग-अलग धाराएं भी बनाई गई हैं, जिन्हें और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए, ताकि यह कोऑपरेटिव मूवमेंट चलता रहे।

महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कोऑपरेटिव ही सच्चा रास्ता है। आपकी सरकार की सहानुभूति भी इसमें बढ़ेगी, ऐसा हमें विश्वास है और इसके लिए इसे और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I submit that many of the concerns that have been expressed by the other benches regarding the attempt to undermine the federal nature of our Constitution are misplaced. I would particularly draw the attention of my friends opposite to the provision in 243 (ZI), which is a critical provision here, which says, "Subject to the provisions of this part, the Legislature of a State may by law make the required provisions". Now, when it is the Legislature of a State that is to make the required provision, there is no question that anybody. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Speak to the mike.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: I am sorry. May I just start repeating, Sir, because you did not hear it? Sir, I said, I submit that my friends opposite have been somewhat mistaken in attempting to portray the provisions of the Bill that has been brought before us as an attempt to undermine the right of the States under the Seventh Schedule to run the cooperative movement. The fact of the matter is that the governing clause of the Bill that has been provided before us, which is 243(ZI), specifically says that "Subject to the provisions of this Paart, the Legislature of a State may by law make the required provisions. In other words, the role of the Legislature of the State is the one that is highlighted right through this provision. Therefore, there is no attempt to invade the territory of the State Governments, except what Dr. Ramalingam, who spoke just now, on behalf of the DMK, said. Even he admitted in the course of his speech, that there is no party in this country other than, perhaps, the AIADMK, which is as jealous as the DMK is about States rights. These are the two parties. He is speaking on their behalf. Even he, I say, admitted in the course of his remarks that the cooperative movement has failed to fulfill the expectations which we put in it. And what this Bill does is to identify the three or four reasons for which the cooperative movement has not lived up to our expectations. Number one, they have not always been voluntary associations. That is a grave mistake in parts of our country where the cooperative movement is being run. Secondly -- and this is probably its biggest defect -- many cooperatives are not run in a democratic manner with the participation of their members, all of them. That is the second major defect in the running of our cooperatives. The third very, very major defect, and I would regard this as the single biggest defect, is that State Governments frequently interfere in the functioning of the cooperatives for decades on end, leave alone years on end, leading to their autonomy being undermined. Fourthly, as has been

correctly pointed out in the recommendations made with regard to Part IV of the Constitution, it says very specifically that we must have cooperatives run professionally. Now, if we all accept that the four basic principles of the cooperative movement must be voluntary association, democratic functioning, autonomy in functioning and professional management, then what is the harm in suggesting that all State Legislatures have a look again at their laws? In several States in India, there are excellent cooperative laws and the cooperative movement is running satisfactorily, There exactly as in the case of Panchayat Raj where, the West Bengal Government did not find the need to change its law but merely to amend it, whereas in other States it was decided to scrap the previous law and bring in a new law. Equally here, if these provisions with respect to these four basic principles are already incorporated in the States law, all they will have to do is to look at it again to see whether there is full compliance. Insofar as there are States which do not have these provisions, they, of course, will be required to bring the cooperative movement in their State in line with fundamental principles which are applicable to the country as a whole. Therefore, I think, this is highly to be commended, and we should all join hands with it. Mr. Kore, I think, on the other side, raised the point as to what happens if there are no members of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or women in any given cooperative, and he gave the example of Sugar Farmers' Cooperatives, where these groups may not be represented. Sir, I would draw your attention in that case to line 38 of article 243(ZJ) which specifically says that this will be obligatory where there are cooperatives 'having members from such class or category of persons'. If that particular society does not have members from the SC/ST and women, my first request is, please ensure that your cooperative society is actually representative of our society because half of our population is women. Even if that has escaped the notice of some sugar farmers' cooperatives in Maharashtra or somewhere else, bring in the SC and the ST and see to it that they come in. But please note that nobody is obliging you to elect a woman member or an SC/ST member if they are not members of your cooperative society. Sir, finally I would like to request the hon. Minister to clarify the necessity for lines 26 to 34 of article 243(ZL) where it provides for a board to be superseded or kept under suspension beyond a period of six months or beyond the period of a year in the case of those which fall under the Banking Regulation Act. I think these lines are superfluous and likely to be exploited especially in the light of the fact that in clause 2 of article 243(ZL) it says that in case of supersession of a board, the administrator appointed to manage its

affairs shall arrange for the conduct of election within the periods specified in clause 1. So, why allow any Government to interfere in the autonomous functioning of a cooperative society by providing so many provisos in lines 26 to 34 that they could easily subvert the intent of the hon. Minister. So, in the light of these comments, I would not only like to express my total support to the Constitution Amendment moved by the hon. Minister, but also, on a personal note, I want to say that I have been waiting for today for the last 22 years. It was almost exactly 22 years ago that this House passed parts IX and IXA of the Constitution which deals with the Panchayats and Municipalities, and Prime Minister Rajiv Gandhi had said that participatory democracy through the Panchayat itself was not enough. That was only a first step. The second step, he said, must be the Constitutional status to the cooperatives. It has taken us nearly a quarter of a century to bring in part IX B to complement Part IX and IXA. My final request to the hon. Minister would be ask to the Minister of Law - who, I do not think is here at the moment - that we must bring in part IXC giving Constitutional status to the Nyaya Panchayats. That way we will combine participatory democracy at the grassroots through the Panchayats with economic development through the cooperatives and justice to the people at the grassroots through the Nyaya Panchayats. It is only then that the vision of Mahatma Gandhi, the vision of Jawaharlal Nehru, the vision of Rajiv Gandhi and now the vision of the Manmohan Singh Government will truly be fulfilled. At that point, the people of India will believe that we are with them and withdraw their support from bogus movements which are unnecessarily disturbing the temper of this House. Thank you very much.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। वैसे मेरी पार्टी की ओर से आदरणीय बलवंत उर्फ बाल आपटे जी ने इस बिल से संबंधित अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से रखी है। मुझे सिर्फ इस बिल के पेज संख्या 2 में बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या एवं पदावधि के संबंध में एक बात कहनी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि आपने सहकारी सोसाइटियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 रखी है, जिसमें ऐसे प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में, जो सदस्यों के व्यष्टियों से मिल कर बनी हो, अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति अथवा महिलाओं के वर्ग या प्रवर्ग के सदस्य होंगे। इसमें एक स्थान अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति का और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की बात कही गई है।

मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है और इसी में मेरी आपत्ति है कि आपने यहां महिलाओं के लिए सिर्फ दो स्थान आरक्षित किये हैं। मैं मांग करती हूं कि यहां महिलाओं की अधिकतम संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए, क्योंकि

हमें सरकार ने पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। महिलाओं के लिए नगरपालिका व नगर निगम में भी 50 प्रतिशत आरक्षण है, तो फिर यह कोऑपरेटिव सोसायटियों में क्यों नहीं है? मंत्री जी, मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप सहकारी समितियों में भी महिलाओं के लिए इतने ही प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कल ही लोक सभा में ये जो लोकपाल और जनलोकपाल ...**(व्यवधान)**... लोकपाल बिल की कॉपी मेरे हाथ में है। इसके लिए पेज नम्बर 4 पर जो लिखा है, उसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं कि, "Provided that not less than fifty per cent of the Members of the Lokpal shall be from amongst persons belonging to Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women." जब कल आपने इसमें 50 प्रतिशत आरक्षण किया है, तो मंत्री जी, मेरी आपसे मांग है कि इसमें भी आप महिलाओं की 50 प्रतिशत संख्या का प्रावधान करें। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विश्वजीत दैमारी (असम): थैंक्यू सर। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसके साथ ही इस हाउस में आपके जरिये मैं मंत्री महोदय के नोटिस में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। हमने कई तरह के क़ानून बनाये हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में उसकी सफलता नही मिल पा रही है, इसलिए इस अमेंडमेंट के बाद ही इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस क़ानून का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर होगा, जो वंचित हैं, जो ग्रासरूट लेवल के हैं, जो गरीब हैं या जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं। हम लोगों ने किसी भी व्यवस्था को अच्छी तरह से सम्भालने के लिए, अच्छा सिस्टम लाने के लिए और लोगों को सुरक्षा देने के लिए कई क़ानून बनाये, लेकिन उन क़ानूनों पर हमारे गांव के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को या पिछड़े वर्ग के लोगों को आज तक भरोसा नहीं है और ये क़ानून लोगों को ज्यादा कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं। इसका कारण सजगता, यानी consciousness का अभाव होना है। हम लोगों में अभी तक अच्छी तरह से अवेयरनेस नहीं ला पाये हैं, जिसके कारण हम गुणी-ज्ञानी लोग यहां देश के किसी भी विषय पर और किसी भी व्यवस्था पर अच्छे-अच्छे काल्पनिक विचारों के ज़रिये जो क़ानून बनाते हैं, वे क़ानून भारतवर्ष के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सिटीजंस के लायक नहीं हैं।

सर, कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू होने के बाद इस व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन क़ानून बन जाने के बाद, लोगों का कोऑपरेटिव के ज़रिये काम करने का जो विचार था, उस पर उसका प्रभाव उलटा पड़ा। ये जो कोऑपरेटिव व्यवस्थाएं हैं, ये आज देश में अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं। यहां जिन लोगों ने इस विषय के ऊपर अपनी बातें कही हैं, वे लोग भी यही बता रहे हैं और मैं खुद इसको देख रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद अगर इस को कार्य करने के लिए व्यवस्था करेंगे, कुछ क़ानून बनाएंगे, तो हमारे देश के लोगों की जो विचारधारा है, संस्कृति है, स्वभाव है तथा उनकी जो सम्पदा है, जिस पर निर्भर करके हम लोग कोऑपरेटिव संस्थाओं के ज़रिये अपने नागरिकों को उन्नत दर्जे पर लाना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों को क़ानून बनाना चाहिए।

ऐसे ही एक कानून के जरिए हम ऊपर से नीचे तक या अर्बन से रूरल तक एक ही तरीके से इस कोऑपरेटिव व्यवस्था को सुरक्षित नहीं कर सकेंगे। आज यही हो रहा है। आज नीचे के लेवल की कोऑपरेटिव सोसायटी लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है। वह सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से लोगों को अनाज वितरण करने का काम कर रही है। वह भी अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जिसे कोऑपरेटिव कार्य के लिए appoint किया गया है, वह हर समय corruption में involve रहता है। फिर शिकायत के ऊपर जो एक्शन होता है, उस में सिर्फ suspension का दंड दिया जाता है। इस से वह नुकसान दूर नहीं होता और पब्लिक को उस खोट से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए भविष्य में हम इस कानून के जरिए कोऑपरेटिव को अच्छी तरह से जीवित कर सकें। इसके लिए जरूरत यह है कि हमारे देश के नागरिकों की विचारधारा के साथ और हमारे लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था चाहिए, उस पर ध्यान देते हुए आप बिल लाएं, यह अनुरोध करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश): मैं इस बिल की हिमायत में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि देहातों में गरीबों के लिए यह बहुत ही अहम मूवमेंट है और इस मूवमेंट में कोऑपरेटिव सोसायटीज का एक ऐसा बिल लाना चाहिए था जिससे कि उनको फायदा पहुंचे।

यहां बहुत से लोगों ने कहा कि स्टेट के ऊपर कब्जा हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि मणि शंकर जी ने कहा हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोऑपरेटिव सोसायटीज में सरकारों ने मुसीबत ढायी हुई है और जिस तरीके से वे उसे exploit करते हैं, उसमें एक माफिया खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं समझता हूं कि इस तरह का बिल आना बहुत जरूरी था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि मेरी मायनोरिटी और खास तौर से मुसलमान, इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, जब कि उस को इस से जोड़ने की ज्यादा जरूरत थी। आज वह बहुत गरीब है। उसके पास छोटे-छोटे खेत रह गए हैं। उसे उठाने की बड़ी जरूरत थी, लेकिन इस बिल में आप ने मुसलमानों का, मायनोरिटीज का कोई जिक्र नहीं किया है। मैं खुद हैरत में हूं कि जब कि कांग्रेस यह बिल ला रही है और हमारे पवार साहब जैसे तजुर्बेकार और सेकुलर आदमी को भी यह समझ नहीं आया कि मायनोरिटी को आप neglect करके कैसे कामयाब होंगे? लेकिन अब यह समझ में आ गया कि चूंकि इन को बिल पास कराना था, इसलिए इन्होंने मायनोरिटी का नाम ही नहीं रखा। यह इसलिए कि एक तबका ऐसा है जिस ने ऐसे हिंदुस्तान का तसव्वुर किया है जहां मायनोरिटी का कोई खाना न हो। ऐसे हिंदुस्तान का तसव्वुर करके यह मुल्क नहीं चलेगा। आप को इस में Backwards को लेना पड़ेगा। वे भी गरीब हैं और उन के भी छोटे-छोटे खेत हैं। इसलिए मेरी आप से गुजारिश है, इस बिल की पूरी हिमायत आप को हासिल है, लेकिन आप मायनोरिटीज और Backwards को इसमें जरूर रखिए। आप ने इसमें 21 डायरेक्टर्स रखे हैं। क्या इन 21 में दो लोग मायनोरिटी व बैकवर्ड के नहीं रखे जा सकते? अभी कहा गया कि 50 प्रतिशत लेडीज को लिया जाए। अरे साहब दो औरतों को ले लिया, एक बैकवर्ड को ले लीजिए, एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन या दूसरी कौम का ले लीजिए। इसके साथ मैं कहूंगा कि मैं इस बिल

की हिमायत करता हूं। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इस में मायनोरिटी व बैकवर्ड का नाम जरूर डालें। Thank you.

جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : میں اس بل کی حمایت میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں دیہاتوں میں غریبوں کے لئے یہ بہت ہی اہم موومینٹ ہے اور اس موومینٹ میں کو-اپریٹو سوسائٹیز کا ایک ایسا بل لانا چاہئے تھا جس سے کہ ان کو فائدہ پہنچے۔

یہاں بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسٹیٹ کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جیسا کہ منی شنکر جی نے کہا ہمارے یہاں اتر پردیش میں جس طریقے کے کو-اپریٹو سوسائٹیز میں سرکاروں نے مصیبت ڈھائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ اسے exploit کرتے ہیں، اس میں ایک مافیا کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا بل انا بہت ضروری تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ میری مائنارٹی اور خاص طور سے مسلمان، اس موومینٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، جب کہ اس کو اس سے جوڑنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ اج یہ بہت غریب ہے۔ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے کھیت رہ گئے ہیں۔ اسے اٹھانے کی بڑی ضرورت تھی، لیکن اس بل میں اپ نے مسلمانوں کا، مائنارٹیز کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ میں خود حیرت میں ہوں کہ جب کہ کانگریس یہ بل لا رہی ہے اور ہمارے پوار صاحب جیسے تجربے کار اور سیکولر ادمی کو بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ مائنارٹی کو آپ نیگلیکٹ کرکے کیسے کامیاب ہوں گے؟ لیکن اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ ان کو بل پاس کرانا تھا، اس لئے انہوں نے مائنارٹی کا نام ہی نہیں رکھا۔ یہ اس لئے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے ایسے ہندوستان کا تصور کیا ہے جہاں مائنارٹی کا کوئی خانہ نہ ہو۔ ایسے ہندوستان کا تصور کر کے یہ ملک نہیں چلے گا۔ اپ کو اس میں بیک-ورڈس کو لانا پڑے گا۔ وہ بھی غریب ہیں اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں۔ اس لئے میری اپ سے گزارش ہے، اس بل کی پوری حمایت آپ کو حاصل ہے، لیکن آپ مائنارٹیز اور بیک-ورڈس کو اس میں ضرور رکھئیے۔ آپ نے اس میں 21 ڈائریکٹرس رکھے ہیں۔ کیا اس 21 میں دو لوگ مائنارٹی و بیک-ورڈ کے نہیں رکھے جا سکتے؟ ابھی کہا گیا کہ 50 فیصد لیڈیز کو لیا جائے۔ ارے صاحب دو عورتوں کو لے لیا، ایک بیک-ورڈ سے لے لیجئے، ایک مسلمان یا ایک کرشچئن یا دوسری قوم سے لے لیجئے۔ اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ میں اس بل کی حمایت کرتا ہوں۔ میں منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں مائنارٹی و بیک-ورڈ کا نام ضرور ڈالیں۔ تھینک یو۔

[†Transliteration in Urdu Script.]

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक पर बोलने की अनुमति प्रदान की है।

महोदय, सहकारिता आंदोलन का अपना एक बड़ा इतिहास है। इस सहकारिता आंदोलन से पूरे देश में कई परिवर्तन भी हुए हैंं और गांव से लेकर खेत-खलिहान तक जुड़े हुए लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। गुजरात और महाराष्ट्र इसके एग्जाम्पल है, जहां सहकारिता मूवमेंट सफल हुआ है और उसके कई प्रतिफल हमारे सामने नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा और हम भी अहसास करते हैं कि जहां इस कोऑपरेटिव आंदोलन से चीनी मिलों में एक नई ताजगी है, वहीं गुजरात में जो श्वेत क्रांति है उसमें भी एक नई ताजगी नजर आ रही है, जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। देश में आज भी कई ऐसे प्रदेश हैं, जहां सहकारिता आंदोलन फेल हो गया है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, बिहार प्रदेश, वहां मेरा अपना अनुभव है कि पिछले कई वर्षों से सहकारिता आंदोलन मृत-प्राय हो गया है। वहां सहकारिता से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, वे सब बंद पड़ी हुई हैं, करोड़ों-करोड़ों की प्रोपर्टी बर्बाद हो रही है। वहां आज बैंक बंद पड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बैंक बंद पड़े हुए हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव बंद है और दूसरी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर कोऑपरेटिव आंदोलन का सदुपयोग न हो, उसमें आम लोगों की भागीदारी न हो, तो निश्चित तौर पर फेल हो जाता है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोऑपरेटिव आंदोलन जो है, चंद लोगों की मुट्ठी में चला गया है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव की जो मूल भावना थी, वह भावना बिल्कुल मृत-प्राय हो गई है। इसका कारण यह है कि देश में कई राज्य ऐसे हैं, जहां कोऑपरेटिव की उपयोगिता नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर आज इसमें एक नई जान डालने की आवश्यकता है। कोऑपरेटिव के माध्यम से आज भी अनेक ऐसे काम किए जा सकते हैं, जिनसे लोगों को फायदा हो सकता है। हमारे यहां बिहार में जैसे सुधा डेयरी है, वह कोऑपरेटिव के माध्यम से चल रही है और वह सफलतापूर्वक काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि आज देश में उन लोगों को कोऑपरेटिव से जोड़ा जाए, खासतौर पर जहां ग्रामीण बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जहां दूध का उत्पादन ज्यादा होता है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है और कई ऐसे दूसरे प्रदेश हैं, तो वहां कोऑपरेटिव के माध्यम से श्वेत-क्रांति ला सकते हैं, जिस तरह से गुजरात में है। अगर वहां किसानों को जोड़ा जाए, किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, उसके लिए जगह-जगह पर चिलिंग प्लांट बना दिए जाएं, ताकि गांव से लोग दूध लाकर उन चिलिंग प्लांट में रखने का काम कर सकें। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें केन्द्र सरकार सहयोग करने का काम करे, राज्य सरकार सहयोग करने का काम करे, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी और गरीबी दूर हो सकती है।

महोदय मैं समझता हूं कि आज लोग इसकी उपयोगिता का अहसास नहीं कर रहे हैं। जो कोऑपरेटिव संस्था है, उसमें जान डालने की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि हमारे राज्य में पहले खाद का वितरण कोऑपरेटिव के

माध्यम से होता था। वह संस्था वहां अभी है, मगर मृत-प्राय पड़ी हुई है। वहां खाद का वितरण होता था, बीज का वितरण होता था, कोयले का वितरण होता था, खाद्यान्न का वितरण होता था, मैं देखता हूं कि आज इन सब चीजों पर वहां कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, माननीय मंत्री जी खुद कोऑपरेटिव आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं और इनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आज खाद की बड़े पैमाने पर काला-बाजारी की खबरें आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि किसान लोग परेशान हैं, बीज वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। आज भी अगर खाद का, बीज का वितरण कोऑपरेटिव के माध्यम से किया जाए, तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा सकारात्मक रिजल्ट सामने आएगा और जो आम लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनको फायदा पहुंचाने की बात होगी। निश्चित तौर पर यह बात भी सही है कि कोऑपरेटिव की स्वतंत्रता में कुछ कमी आई है। राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर से उसकी जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, उस पर भी कुठाराघात करने का काम करती रही हैं। इससे देखा गया है कि उनके काम करने की क्षमता घट जाती है। माननीय सदस्य ने जैसा कहा, ठीक कहा, कि रजिस्ट्रार के माध्यम से कोऑपरेटिव को बांध कर रखने का काम किया गया है। इस तरह तो सीधे तौर पर कोऑपरेटिव पर सरकारी नियंत्रण हो जाता है, जिसकी वजह से काम करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है।

महोदय, मैं एक निवेदन और करके अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो महिलाओं का समूह है, इन महिलाओं के समूह के माध्यम से निश्चित तौर पर उनकी भागीदारी का उपयोग हो सकता है। अगर महिलाओं के समूह के माध्यम से कोऑपरेटिव काम करेगी, तो यह कदम बड़ा कारगर साबित हो सकता है। इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा, जैसी कई माननीय सदस्यों ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि आपने जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है, मगर वहीं इस देश में एक बड़ी आबादी जो 54-55 परसेंट पिछड़ों की है, उनको आप छोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? उनको हर जगह रिजर्वेशन मिल रहा है, यह लगभग 18 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, अकलियतों की है, फिर यहां जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं उनको आप क्यों छोड़ने काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर आप इनको include करने का काम कीजिए। इसमें अगर आप reservation दे रहे हैं, तो इन लोगों को भी reservation देने का काम कीजिए, ताकि उनके साथ न्याय हो सके।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी से यह clarification चाहूंगा कि बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि के बारे में क्लाज़ 243 यज्ञ में कहा गया है कि - "किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में जो सदस्यों के रूप में व्यक्तियों से मिलकर बनी हो और उसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगा।" इसमें "या" की जगह "और" शब्द होना चाहिए, क्योंकि "या" शब्द से लगता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से एक सदस्य। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको clarify करें। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि "अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगा" इसे clarify

किया जाए। मेरा निवेदन है कि निश्चित तौर पर इसमें OBC and minorities को भी जोड़ने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आज भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यदि सरकार चाहे और इच्छा शक्ति हो, तो cooperative के माध्यम से आम लोगों की बेरोज़गारी, गरीबी, फटेहाली को दूर किया जा सकता है और गांवों में जो 80 प्रतिशत आबादी रहती है, जो गांवों पर निर्भर करती है, वहां आर्थिक सम्पन्नता लाई जा सकती है और उसे एक नया स्वरूप दिया जा सकता है। अंत में, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह संयोग की बात है कि जब मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था, उस समय यह विधेयक हमारी कमेटी के सामने आया था। जब हम विभिन्न राज्यों में गए थे, तो कुछ राज्यों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि यह विधेयक संघीय ढांचे के विपरीत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर सही तरीके से इस विधेयक को implement किया जाए, तो इसमें कई अच्छी बातें हैं, जो cooperative movement को सही रास्ते पर लाने का काम कर सकती हैं। होता यह था कि राज्य सरकारें मनमाने तरीके से बोर्ड को supercede कर देती थीं या कई बार चुनाव नहीं कराती थीं और मनमाने तरीके से प्रशासकों की नियुक्ति कर देती थीं। कभी-कभी ऐसा होता था कि एक सरकार के दौरान चुने गए अध्यक्ष या Board of Directors का कार्यकाल दूसरी सरकार ने कम कर दिया और जब तीसरी सरकार आई, तो उसने पिछली सरकार के दौरान चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कम कर दिया और जब वे खुद आए, तो अपने सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया। यह आपाधापी कई राज्यों में होती थी और माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसको खत्म करने के लिए इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और किसी भी बोर्ड को अनावश्यक रूप से supercede नहीं किया जा सकता है, अगर अपरिहार्य कारणों से supercede किया जाए, तो भी 6 महीनों के अंदर नए बोर्ड का चुनाव कराना होगा। जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें भी यह प्रावधान कर दिया गया है कि समय खत्म होने से पहले या term खत्म होने से पहले नई कमेटी का चुनाव हो जाएगा, ताकि किसी तरह का Administrator appoint न करना पड़े। ये दोनों बहुत अच्छी बातें हैं और इनकी वजह से पहले जो गड़बड़ियां cooperative societies में होती थीं, उनको रोकने में बहुत मदद मिलेगी।

इसमें reservation की जो बात की गई है, चाहे अदीब साहब ने की हो या राम कृपाल यादव जी ने की हो, मैं उनसे सहमत हूं। 1977 में जब उत्तर प्रदेश में पहली बार जनता सरकार बनी थी, उस समय मुलायम सिंह यादव cooperative minister थे, तो उन्होंने cooperative societies की primary society से लेकर Apex Body तक Board of Directors में एक सीट Scheduled Castes के लिए reserve कर दी थी। तब से लेकर आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसमें यह व्यवस्था जरूर कीजिए कि Scheduled

Castes, Scheduled Tribes, महिलाएं, OBC और minorities को भी आप आरक्षण दें, क्योंकि ज्यादातर यही लोग इन सोसाइटीज़ के साथ, इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। वे इससे लाभान्वित भी होंगे, इसको गति देने का काम भी करेंगे और cooperative movement को सफल बनाने में इनका भारी योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह समझता हूं कि इस तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि राज्यों के अधिकारों में कहीं encroachment हो रहा है, क्योंकि State Legislature को इसमें हर तरह का कानून बनाने का, संशोधन करने का अधिकार है, इसलिए वह confusion नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I am grateful that the House has overwhelmingly supported this important Constitutional Amendment Bill which has been passed by the Lok Sabha. एक बात मैं शुरू से ही यहां clarify करना चाहता हूं। एक मान्यवर ने यह कहा कि मेरा इस क्षेत्र में कोई interest है, इसलिए शायद conflict of interest की बात हो सकती है। यह बात सच है कि मुझे कई cooperative institutions से सहयोग करने का मौका मिला और मैं हमेशा उनकी मदद करता हूं, मगर व्यक्तिगत रूप से इस देश में दो ही संस्थाएं ऐसी हैं, जहां मैं मैम्बर हूं और मेरे साथ कम से कम 30,000 लोगों की मैम्बरशिप हर संस्था में है। वे संस्थाएं कृषि उपज पर प्रक्रिया करने वाली संस्थाएं हैं और मेरे गांव के परिसर में, मेरे क्षेत्र में जो पैदावार होती है, उसे process करने के लिए वह मुझे वहीं भेजनी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र के सभी किसान इन संस्थाओं के सदस्य हैं, मगर न तो मैं बोर्ड में हूं, न decision-making authority में मेरा कोई संबंध है। साथ-साथ मैं यह बात भी साफ करना चाहता हूं कि कई ऐसे institutions हैं, जिन्हें खड़ा करने में मेरा योगदान था, है और आज भी देता हूं और उन संस्थाओं को ठीक लाइन पर चलाने के लिए, उनका ठीक तरह से मार्गदर्शन कराने का प्रयास भी मैं करता हूं।

सर, cooperative movement इस देश की बहुत पुरानी मूवमेंट है। हमारे असम के साथियों ने कहा कि पहला cooperative institution असम में हुआ। कोरे जी ने कहा कि कर्नाटक में पहला institution हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग कहते हैं कि हमारे यहां पहला institution हुआ, तो यह बात साफ है कि इस देश में कई institutions ऐसे हैं, जिनकी शुरुआत सौ साल से पहले हुई और cooperatives के रास्ते जाकर ही हम समाज के गरीब लोगों को शक्ति दे सकते हैं, उन्हें सम्मान से जीने का एक रास्ता हम दिखा सकते हैं। इस पर विश्वास करने वाले कई नेता इस देश में पैदा हुए। पूरी cooperative movement का इतिहास हमने देखा कि वैकुंठभाई मेहता, जिनका जन्म गुजरात में हुआ, मगर कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वहां कई ऐसे institutions हैं, जिनको सहयोग देने का, मार्गदर्शन करने का काम वैकुंठभाई ने किया था। उनके साथ लल्लूभाई समलदास, सरैया, धनजीराव गाडगिल - ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूं, जिन्होंने इस देश की सहकारिता को एक जबरदस्त ताकत दी, अच्छा रास्ता दिखाया और इनमें से एक नई लीडरशिप तैयार करने के लिए बहुत बड़ा

योगदान किया। और आज जो उस सहकारी संस्था का expansion हुआ है, फैलाव हुआ है, इसमें इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसे हम कभी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। मैंने शुरू में यह कहा था कि आज इस देश के 24 करोड़ से ज्यादा लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट में सदस्य के नाते से सहभागी हुए हैं। मैंने शुरू से कहा था कि पांच लाख से ज्यादा विलेज कोऑपरेटिव सोसायटीज़ इस देश में हैं और 18 या 20 परसेंट ऐग्रीकल्चरल क्रेडिट इस देश में किसानों को देने का काम आज ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज़ करती हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक करते हैं। चाहे खाद का क्षेत्र हो, दूध का क्षेत्र हो, ऐग्रो प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो - कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ा काम किया है। यह एक बहुत अच्छी स्थिति है कि हम बहुत अभिमान से, गौरव से यह कह सकते हैं कि यह सब कोऑपरेटिव सेक्टर ने किया है। आज दुनिया में अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर में सबसे बड़ा काम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से भारत में हुआ है। वहां लाखों-करोड़ों रुपए के डिपॉज़िट्स हैं। इस देश में बड़े-बड़े बैंक हैं - चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक हो या अन्य कई बैंक हैं, जिनका नाम आप और हम सब ले सकते हैं, लेकिन गांव में गली में रहने वाला जो गरीब आदमी है, उसकी पहुंच इन बड़े बैंकों में आसानी से हो नहीं सकती। दूसरी ओर, गांव में क्रेडिट सोसायटी हो या अर्बन कोऑपरेटिव सोसायटी हो, जिसका डायरेक्ट रिश्ता लोगों के साथ है, वह उन्हें मदद करने के लिए और उनका जो कारोबार चलता है, उसके ऊपर सुपरविज़न करने के लिए उनकी बहुत सहायता करती है। इसके अलावा करोड़ों फैमिलीज़ ऐसी हैं, जिनको मजबूती से खड़ा करने का काम इन अर्बन कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने किया है। इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद आज हम, उनमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, इस तरह की बात क्यों कहते हैं, यह सवाल कोई भी मुझसे पूछ सकता है। मैंने शुरू में कहा था कि इस सदन के सभी सदस्य यह चाहेंगे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रजातंत्र के रास्ते से जाना चाहिए। इनका व्यवस्थापन, मैनेजमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए, उसमें प्रोफेश्नलिज्म होने की आवश्यकता है। इनका आर्थिक व्यवहार साफ सुथरा होना चाहिए, इनका कोई भी सदस्य हो, उसे उसको देखने का अधिकार मिलना चाहिए। वहां जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस संबंध में कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ हमारे जैसे लोग, अपने पॉलिटिकल इंटरस्ट के लिए इसमें ध्यान देते हैं और संस्था खारिज करने का काम भी करते हैं, पॉलिटिकली हमें convenient न हो तो उन पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। इसीलिए संविधान का आधार लेकर इसमें सुधार लाने की बात आज सदन के सामने हमने रखी है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आज देश में पांच-छः राज्य ऐसे हैं, जहां पिछले दस सालों से इलेक्शन नहीं हुए। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां हम लोग हुकुमत में आ गए। हुकुमत में आने के बाद हम लोगों ने पहला ऑर्डर यह निकाला कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने गांव की सोसायटीज़ में 20 हजार कोऑपरेटिव मूवमेंट में काम करने वाले लोग, ऑफिस बीयररस को सुपरसीड किया। और वे कई सालों तक वहां एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। यहां पर बतलाया गया कि चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसमें आप राइट टू इंफार्मेशन की बात क्यों लाए। केरल जैसे राज्य में इसका बुरा असम हो सकता है। यह बात सच है कि केरल एक ऐसा स्टेट है कि वहां कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अच्छा कार्य होता है,

4.00 P.M.

इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर लोगों ने लाखों रुपए डिपॉजिट करा रखे हैं, जिससे वहां एक आर्थिक व्यवस्था बनती है, ताकि बाकी कामों में मदद करने के लिए वे संस्थाएं आगे आ सकें। मुझे याद है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी व अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक अधिवेशन, समारोह में गया था। वहां मुझे किसी ने एक खत दिया, जिसमें लिखा कि आपने इस संस्था के लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, मगर ये-ये काम बाकी हैं और वहां के डिपॉजिटर्स की लिस्ट भी मांगिए। मैं दूसरे दिन भी वहां था। वहां कि ऑफिस बियरर्स व एकाउंटेंट को बुलाकर मैंने उनसे डिपॉजिटर्स की लिस्ट मांगी। उनमें पहला नाम था मोहन चन्द करमचन्द गांधी। इनके नाम पर पैसे थे। उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए, उनके सभी लोगों के नाम वहां थे। सचिव तेन्दुलकर का नाम भी वहां था और उसके नाम पर डिपॉजिट था। वहां पर ऐसे पचासों लोगों के नाम देखे जो देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ-न-कुछ बड़ा काम करते हैं और उनको मालूम भी नहीं कि इस क्षेत्र में हमारा नाम कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति आज कुछ न कुछ लोगों के माध्यम से आगे आ रही है और उस पर हम समय पर रोक नहीं लगाएंगे तो मुझे लगता है कि यह मूवमेंट गलत रास्ते पर जाएगी और इसकी जबर्दस्त कीमत समाज के गरीब लोगों को देनी पड़ेगी, बाकी किसी को नहीं देनी पड़ेगी। यहां इलेक्शन के बारे में कहा गया। इलेक्शन में कई संस्थाएं ऐसी हैं कि वहां के इलेक्शन की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वह ठीक नहीं है। इसलिए इस अमेंडमेंट के बारे में कुछ न कुछ सुधार किया गया। मणि शंकर अय्यर जी ने सुझाव दिया कि शायद इलेक्शन कमीशन जैसी कोई संस्था होनी चाहिए। यहां जो कुछ सुधार लाए गए हैं, ये सुधार सरकार ने अकेले बैठकर या हम लोगों ने या ऑफिसर्स ने ये कदम नहीं उठाए हैं। हमेशा की नीति यह रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो या किसी की भी हुकूमत हो, जब कोऑपरेटिव कानून में बदलाव करना हो तो देश मे कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाले जो इम्पोर्टेंट ऑफिस बियरर्स हैं, चाहे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के हों, चाहे स्टेट कोआपरेटिव संघ के हों या चाहे अन्य कोऑपरेटिव संस्था के हों, उनको बुलाकर इनके सामने सब विषय रखकर, बहस करके अल्टीमेटली जो उनकी राय बनती है, उस राय के आधार पर नीति तय करने की प्रक्रिया आज कई सालों से इस देश में चल रही है। आज जो हम यहां सुधार लाए हैं, 2004 में देश के सभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स, देश के सभी राज्यों में काम करने वाले कोऑपरेटिव मूवमेंट के नेता लोग, इन सभी लोगों की दो दिन की मीटिंग लेकर वहां डिस्कशन करके उनसे जो सुझाव आ गए, उनसे जो सूचना मिली उसके आधार पर संविधान में परिवर्तन करने का यह प्रस्ताव यहां लाया गया है। इसलिए इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में यह बात हुई थी कि चाहे बड़ी संस्था हो, कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरी हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, इफ्को जैसी संस्था हो, वहां शायद इलेक्शन के लिए कुछ न कुछ सैटअप कर सकते हैं, मगर गांव की सोसाइटी के इलेक्शन कंडेक्ट करने के लिए मुश्किल होगा, इस तरह की राय आ गई है और इसलिए इसमें हम आगे नहीं गए हैं। मगर इसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत करके फिर ध्यान देने के लिए मैं जरूर तैयार हूं।

जो सुझाव आए हैं, उनमें एक बात सभी सदस्यों ने कही है कि भारत सरकार की नीति राज्य सरकारों के अधिकारों पर कुछ न कुछ हस्तक्षेप करने की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्री मणि शंकर अय्यर जी ने इस बारे में साफ बात बताई और उन्होंने सैक्शन भी कोट किया कि राज्य सरकार रेट तय करे, यह उसको अधिकार दिया है। क्या नम्बर होगा, कितना होगा, किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होगी, रिजर्वेशन कैसे होगा, ये सब अधिकार उनको दिए गए हैं। इसके लिए कानून बनाने का अधिकार स्टेट असेम्बली को दिया है और भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। यह बात बताई गई कि आपके यहां एस.सी. और एस.टी. के लिए प्रॉविजन क्यों किया गया? यह बात सच है, ऐसा प्रॉविजन किया है। कई इलाके, कई क्षेत्र, कई संस्थाएं ऐसी हैं कि वहां शैड्यूल्ड कास्ट मिल सकते हैं, मगर शैड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं मिल सकते हैं। शैड्यूल्ड ट्राइब्स सभी जगह पर हो नहीं सकते। आप देखिए कि गवर्नमेंट एम्पलाईज़ की सोसायटी होगी या कोई हाउसिंग सोसायटी होगी, उस हाउसिंग सोसायटी में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी मेम्बर नहीं होगा, तो हम कहां से वहां आदमी लायेंगे? कोई बैंकिंग इंस्टिट्यूशन हो, वहां शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी उसी क्षेत्र में रहता ही नहीं हो, तो कहां से लायेंगे? शैड्यूल्ड कास्ट तो मिल सकता है। जैसा कि कोरे जी ने कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट मिलते नहीं हैं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ऐसा गांव इस देश में कोई नहीं है जहां पर शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं मिलता है। आज शैड्यूल्ड कास्ट खूब मिलेंगे, सभी जगह पर मिलेंगे, खेती के क्षेत्र में भी ये मिल सकते हैं।

उपसभापति महोदय, उन्होंने टैक्सेशन के बारे में बोलते हुए कहा कि भारत सरकार सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को क्या मदद करती है, सरकार मदद करती है। हम सिर्फ कंट्रोकल करने की बात नहीं करते हैं। प्रोफेसर वैद्यनाथन कमेटी की रिकमंडेशन है। हर गांव की जो को-ऑपरेटिव सोसायटी है, जो गांव में किसानों की मदद करती है, आर्थिक संकट में जो संस्थाएं गई थीं, बंद पड़ी थीं, उनको रिवाइव करने के लिए प्रो. वैद्यनाथन कमेटी की रिकमंडेशन के माध्यम से 13000 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार ने दी थी और इस entire सैक्टर को रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया था। जो 7000 करोड़ रुपये, जो waiver के लिए योगदान किया, इसके माध्यम से कई को-ऑपरेटिव इंस्टिट्यूशंस ठीक रास्ते पर आ गए। इनके बारे में भारत सरकार ने कदम उठाया। आज को-ऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाले जो साथी हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने का काम आज भारत सरकार के माध्यम से होता है और कई जगह पर इसकी ट्रेनिंग के कोर्सेज़ चलाने का काम होता है। आज को-ऑपरेटिव इंस्टिट्यूशंस के माध्यम से उनकी फाइनेंशियल रेस्पांसेबिलिटी भारत सरकार लेती है। मगर जैसा कि कोरे जी ने कहा कि आप इन्कम टैक्स ज्यादा लगाते हैं, यह बात सच है। कोरे जी, एक को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन हैं। वे अच्छी शुगर फैक्ट्री चलाते हैं, यह मैंने देखा है। टर्न ओवर कोई 800, 1000 करोड़ होगा, ज्यादा नहीं। मुनाफा निकालने का काम किया और सच्ची तरह से निकाला, तो 200-150 करोड़ रुपये निकाल देंगे। जब इसमें से इन्कम टैक्स देने की बात आती है, तो उनकी नींद खराब होती है। कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्पलाईज हो, क्लास "सी" क्लास "डी" हो, जब उनके ऊपर टैक्स देने की नौबत आती है तब उनकी भी ऐसी ही

स्थिति होती है, तो हजार करोड़ का टर्न ओवर करने वाली, हमारी को-ऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री को इन्कम टैक्स देने में क्यों नाराजगी होती है। यह मुझे मालूम है कि आप मुनाफा निकालते नहीं, यह अपना सिस्टम है। आपको कुछ कहना है?

DR. PRABHAKAR KORE : In cooperative movement, you know that, Sir, some time गवर्नमेंट का तो हमको कुछ पता नहीं, इन्फैक्ट शुगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन करके, गन्ने से जो शुगर बनता है, उसका 60 परसेंट आप ले भी लेते थे। आजकल 10 परसेंट है, वह भी एक साल मेरे गोदाम में रहेगा और उसका इंटरेस्ट मैं भरूंगा। आप सबसे कम रेट फिक्स कर रहे हैं। कैसे हमारी को-ऑपरेटिव मिल्स गन्ने का प्राइस farmers को दे सकती है? whatever profit we are getting, we are distributing it as cane price to the farmers only. That is our aim and objective today.

श्री शरद पवार: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोरे जी ने शुगर लेवी के बारे में पूछा है। यह बात सच है कि भारत सरकार चाहती है कि इस देश में को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री हों। इनमें चीनी पैदा करने के बाद 15 परसेंट चीनी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के माध्यम से BPL category के लोगों को देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने सच कहा है कि यह हमारी शुगर फैक्ट्रीज़ से है, परन्तु हम सभी लोगों को एक साथ बैठकर को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरी के बारे में जानने की आवश्यकता है कि हमारी शुगर फैक्टरी क्या है। मैं जिस को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का मेम्बर हूं, वहां equity है और इस equity में जब हमारे किसानों का वन परसेंट होता है तब सरकार का 9 परसेंट होता है। Equity rate is 1:9. एक शेयर हमारा और 9 शेयर सरकार के, यानी इस देश की जनता के हैं, ऐसा मैं समझता हूं। जब देश की जनता कंट्रिब्यूशन करती है और जब इसका कंट्रिब्यूशन 60 परसेंट, 70 परसेंट से ज्यादा होता है। उस जनता का जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग के लिए 15 परसेंट चीनी ठीक रेट से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए लेने की दिशा में कुछ कदम उठाने की तैयारी की, तो हमारे सब साथी बड़े नाराज होने लगे और मुझ पर भी नाराज होने लगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि को-ऑपरेटिव में हमने गरीब लोगों को ताकत देने के लिए यह मूवमेंट की है। आजकल को-ऑपरेटिव मूवमेंट में हमारा एक एटिट्यूड है कि हम भी टाटा, बिड़ला के रास्ते पर जाने वाले लोग हैं, हम में इस तरह की भावना पैदा होने लगी है। मुझे लगता है कि यह को-ऑपरेटिव के लिए फायदे की बात नहीं है। समाज के गरीब लोगों के हितों की रक्षा करना, को-ऑपरेटिव मूवमेंट में काम करने वाला कोई भी इंस्टिट्यूट हो, वह कभी नज़र अंदाज नहीं कर सकता कि इन लोगों के लिए यह मूवमेंट है। यह मूवमेंट कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस चलाने वाले लोगों का नहीं है, हम यह बात कभी नजर अंदाज़ नहीं कर सकते। आप इसको छोड़िए, मैं इस पर कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे: इन्कम टैक्स लगाने की बात की थी, को-ऑपरेटिव बैंक्स पर जो इन्कम टैक्स लगाते हैं, उसकी भी बात की थी?

श्री शरद पवार: वहां पर बराबर वही लॉजिक है। It is very difficult. मुझे सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। I myself have disclosed so many things. Take the case of my own State Cooperative Bank or my own District Central Cooperative Bank, Satara District Central Cooperative Bank. I have requested the Prime Minister to visit that bank. Our deposit is 25,000 crore. Our NPA is zero. Recovery is hundred per cent. When it comes to profit, I will not disclose the figure. So much profit is there. जो अच्छी तरह से इंस्टिट्यूशन चलाने वाले हैं तथा जिनकी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है और वे कमाते हैं, जब कमाते हैं तो उसमें से टैक्स के रूप में सरकार को कुछ रकम दे दी, और हमें लगता है कि इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर sick institutions हैं, हम उनके लिए जरूर बात करेंगे। हम उनके लिए RBI से बात करेंगे, नाबार्ड से बात करेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे कि क्या आप उनको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ मदद कर सकते हैं? जब इस प्रकार की समस्या आती है तब सरकार भी मदद करती है। जैसा कि कोरे जी ने कहा है कि चीनी मिल के लिए हम उनके हिसाब से कोई सहयोग लेते हैं। चार साल पहले जब चीनी का बहुत उत्पादन हुआ था और दाम गिरे थे, जब विदेश में चीनी भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा भारत सरकार ने दिया था। उनके गोदामों में एक साल तक माल रखना पड़ा, उसका इन्टरेस्ट एंड गोडाउन चार्जेज़ सरकार ने दिए थे। ऐसा कौन सा धन्धा है कि जहां प्रोड्यूसर का माल गोडाउन में रहेगा और सरकार उसके चार्जेज़ व इन्टरेस्ट के पैसे देगी? जहां पर किसानों को मदद की जरूरत होती है, वहां पर सरकार उनकी मदद करती है। मुझे लगता है कि हमें इसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। जो समाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यहां ओडिशा के बारे में भी एक सवाल पूछा गया है। हमने इसमें सबसे ज्यादा ताकत जनरल बॉडी को दी है। In a cooperative institution, member is the most important head. मैम्बर्स की जो जनरल बॉडी है, auditor की जो रिपोर्ट आएगी, वह इनके सामने जाएगी। ऑडिटर्स इस तरह के होने चाहिए कि इस district के जो reputed auditor हैं, उनकी एक लिस्ट बन जाएगी और इनमें से जिस को भी लेना है, इसका अधिकार इसी इंस्टीट्यूशन को दिया है। मुझे लगता है कि इस बारे में और ज्यादा बताने की आवश्यकता नही है। बाकी decentralisation को-ऑपरेटिव की आत्मा है। को-ऑपरेटिव में डिसेंट्रलाइज approach होती है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर भी कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से समाज के छोटे लोगों की मदद करने के लिए यह मूवमेंट इस देश में शुरू हुआ है। इसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है, वे सुधार करने के लिए ही यह प्रस्ताव विधेयक के माध्यम से यहां, सदन के सामने लाया गया है। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से कहूंगा कि इसमें सहयोग दीजिए। को-ऑपरेटिव क्षेत्र में ठीक रास्ते पर चलने में हमारी मदद कीजिए ...**(व्यवधान)**... मुझे विश्वास है ...**(व्यवधान)**...

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: सर, आपने ओ.बी.सी. के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में नहीं कहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद पवार: आप एक बात बताइए कि माननॉरिटी या कोई भी अन्य सेक्टर, जिनको रिजर्वेशन देना हो, उनका रिजर्वेशन देने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर हम यह नहीं भूल सकते हैं कि यह एक इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन के कौन मैम्बर्स हैं, इनमें से माइनॉरिटी का कौन है, ओ.बी.सी. का कौन है, इस बारे में हमें नहीं कहना है। जहां तक महिला की बात है तो को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स में महिला सदस्य नहीं होती है। इसके लिए एक campaign चलाने की आवश्यकता है कि हम वहां महिला को मैम्बर बनाएंगे। जब इतने बड़े पैमाने पर महिला को मैम्बर बनाएंगे, तो वहां पचास प्रतिशत देने में हमें कुछ तकलीफ नहीं है और उसमें जो कुछ सुधार करना पड़ेगा, वह सुधार करने की भी हमारी तैयारी है। वह चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ओ.बी.सी. हो, इससे पहले उनको इस संस्था का सदस्य बनाने के लिए कैंपेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैम्बर्स में से ही कोई वहां का office-bearer हो सकता है, बाहर से नहीं हो सकता है।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: ओ.बी.सी. का कोई मैम्बर नहीं होगा ...**(व्यवधान)**...

श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश)**:** सर, माइनॉरिटी ...**(व्यवधान)**...

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल: वह मैम्बर माइनॉरिटी का नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती माया सिंह: उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: उन्होंने जो कहना था, कह दिया है ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती माया सिंह: उपसभापति जी, मुझे यह पूछना है कि जो महिला को-ऑपरेटिव बैंक है, को-ऑपरेटिव स्टोर्स हैं, महिला सोसायटीज हैं, महिलाओं के बैंक हैं ...**(व्यवधान)**... मैं उनके बारे में मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप उनको इन्कम टैक्स में कुछ छूट देंगे? आपको उनको इन्कम टैक्स में छूट देनी चाहिए।

SHRI SHARAD PAWAR**:** I am not dealing with income tax. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN**:** Discussion is over. Reply is over. ...*(Interruptions)*...▯▯▯▯•▯▯ बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री वी. हनुमंत राव (आन्ध्र प्रदेश)**:** मोर देन फिफ्टी परसेंट को आपने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वह बता दिया है ...**(व्यवधान)**... मैम्बर्स होने के बाद बनाएंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश)**:** सर, जहां तक ओ.बी.सी. की बात है, वूमन मैम्बर की बात है तो उसमें एक प्रोविजन डाल सकते हैं कि अगर वे उसमें हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, यह डालने में आपको क्या ऐतराज है ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती माया सिंह: मैं आग्रह करना चाहूंगी ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHARAD PAWAR**:** Please listen. जहां तक मैम्बरशिप का सवाल है, board में काम करने का

मौका देने का अधिकार है, इसका पूर्ण अधिकार राज्य सरकार के पास है। वह Composition of the Board of Directors will be finalised by the State Legislatures. I have no hesitation in communicating to the State Governments on behalf of the Government of India that they should take precaution so that justice will be done to the OBCs, SCs, STs, minorities and women. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Unless you make a provision, how will you give a direction? ...*(Interruptions)*... It has to be in the Act itself, in the Constitution Amendment itself. ...*(Interruptions)*... Unless you make a provision, how can you give a direction to the State Government? There can't be a direction to the State Government. ...*(Interruptions)*... The State Government can't be directed. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion to vote. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... The question is:

> That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 152.

Noes: 042.

Ayes-152

Adeeb, Shri Mohammed

Adik, Shri Govindrao

Agarwal, Shri Ramdas

Ahluwalia, Shri S. S.

Aiyar, Shri Mani Shankar

Akhtar, Shri Javed

Alvi, Shri Raashid

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A. K.

Apte, Shri Balavant *alias* Bal

Ashk Ali Tak, Shri

Ashwani Kumar, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi

Badnore, Shri V.P. Singh

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bandyopadhyay, Shri D.

Batra, Shri Shadi Lal

Bernard, Shri A.W. Rabi

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Shri Balwinder Singh

Bora, Shri Pankaj

Bose, Shri Srinjoy

Budania, Shri Narendra

Chaturvedi, Shri Satyavrat

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Das, Shri Kumar Deepak

Dave, Shri Anil Madhav

Deora, Shri Murli

Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao

Dua, Shri H.K.

Dwivedi, Shri Janardan

Elavarasan, Shri A.

Faruque, Shrimati Naznin

Fernandes, Shri Oscar

Ganguly, Dr. Ashok S.

Gill, Dr. M.S.

Gnanadesikan, Shri B.S.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Prem Chand

Hema Malini, Shrimati

Husain, Shri Jabir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal

Jain, Shri Meghraj

Jaitley, Shri Arun

Javadekar, Shri Prakash

Jayashree, Shrimati B.

Jethmalani, Shri Ram

Jha, Shri Prabhat

Jinnah, Shri A.A.

Jois, Shri M. Rama

Joshi, Dr. Manohar

Kalita, Shri Bhubaneswar

Karan Singh, Dr.

Keishing, Shri Rishang

Kesari, Shri Narayan Singh

Khan, Shri Mohd. Ali

Khanna, Shri Avinash Rai

Khuntia, Shri Rama Chandra

Kidwai, Shrimati Mohsina

Kore, Dr. Prabhakar

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Krishna, Shri S.M.

Kshatriya, Prof. Alka Balram

Kurien, Prof. P.J.

Lalhming Liana, Shri

Maitreyan, Dr. V.

Malihabadi, Shri Ahmad Saeed

Mallya, Dr. Vijay

Manjunatha, Shri Aayanur

Mathur, Shri Om Prakash

Mishra, Shri Kalraj

Mitra, Dr. Chandan

Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh

Mungekar, Dr. Bhalchandra

Naidu, Shri M. Venkaiah

Naik, Shri Shantaram

Nandi Yellaiah, Shri

Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

O'Brien, Shri Derek

Pande, Shri Avinash

Pandya, Shri Dilipbhai

Pany, Shri Rudra Narayan

Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Kanjibhai

Pilania, Dr. Gyan Prakash

Prasad, Shri Rajniti

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punj, Shri Balbir

Ram Prakash, Dr.

Ramalingam, Dr. K.P.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Hanumantha

Rashtrapal, Shri Praveen

Ratanpuri, Shri G. N.

Ratna Bai, Shrimati T.

Raut, Shri Sanjay

Ravi, Shri Vayalar

Rebello, Ms. Mabel

Reddy, Shri G. Sanjeeva

Reddy, Dr. T. Subbarami

Roy, Shri Mukul

Roy, Shri Sukhendu Sekhar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupani, Shri Vijaykumar

Sadho, Dr. Vijaylaxmi

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Sai, Shri Nand Kumar

Sangma, Shri Thomas

Seelam, Shri Jesudasu

Selvaganapathi, Shri T.M.

Shafi, Shri Mohammad

Shanappa, Shri K.B.

Shanta Kumar, Shri

Sharma, Shri Raghunandan

Sharma, Shri Satish

Shukla, Shri Rajeev

Singh, Shri Birender

Singh, Shri Ishwar

Singh, Shri Jai Prakash Narayan

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shrimati Maya

Singh, Shri Shivpratap

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Solanki, Shri Kaptan Singh

Soni, Shrimati Ambika

Soz, Prof. Saif-ud-Din

Stanley, Shrimati Vasanthi

Tariq Anwar, Shri

Tarun Vijay, Shri

Thakor, Shri Natuji Halaji

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Dr. Prabha

Thakur, Shrimati Viplove

Thangavelu, Shri S.

Tiriya, Ms. Sushila

Trivedi, Dr. Yogendra P.

Uikey, Miss Anusuiya

Vasan, Shri G. K.

Verma, Shri Vikram

Vora, Shri Motilal

Vyas, Shri Shreegopal

Waghmare, Dr. Janardhan

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Veer Pal Singh

NOES - 42

Achuthan, Shri M.P.

Agrawal, Shri Naresh Chandra

Ansari, Shri Ali Anwar

Ansari, Shri Salim

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baidya, Shrimati Jharna Das

Balagopal, Shri K.N.

Behera, Shri Shashi Bhusan

Chakraborty, Shri Shyamal

Chatterjee, Shri Prasanta

Ganga Charan, Shri

Gupta, Dr. Akhilesh Das

Ismail, Shri K.E.

Jai Prakash, Shri

Kureel, Shri Pramod

Kushwaha, Shri Upendra

Mangala Kisan, Shri

Misra, Shri Satish Chandra

Mohanty, Shri Kishore Kumar

Moinul Hassan, Shri

Mukherji, Dr. Barun

Parida, Shri Baishnab

Pasha, Shri Syed Azeez

Pathak, Shri Brajesh

Pathak, Shri Saman

Pradhan, Shrimati Renubala

Raja, Shri D.

Rajan, Shri P.R.

Rajaram, Shri

Rajeeve, Shri P.

Rangarajan, Shri T.K.

Reddy, Shri M.V. Mysura

Roy, Shri Tarini Kanta

Sahani, Prof. Anil Kumar

Saini, Shri Rajpal Singh

Seema, Dr. T.N.

Sen, Shri Tapan Kumar

Singh, Shri R.C.

Singh, Shri Ramchandra Prasad

Singh, Shri Veer

Tiwari, Shri Shivanand

Yechury, Shri Sitaram

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up Clause-by Clause consideration of the Bill. As there are no amendments, if the House agrees, we can take up Clauses 2 to 4 together for consideration. The question is:

That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 152

Noes: 042

Ayes: 152

Adeeb, Shri Mohammed

Adik, Shri Govindrao

Agarwal, Shri Ramdas

Ahluwalia, Shri S.S.

Aiyar, Shri Mani Shankar

Akhtar, Shri Javed

Alvi, Shri Raashid

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Apte, Shri Balavant *alias* Bal

Ashk Ali Tak, Shri

Ashwani Kumar, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi

Badnore, Shri V.P. Singh

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bandyopadhyay, Shri D.

Batra, Shri Shadi Lal

Bernard, Shri A.W. Rabi

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Shri Balwinder Singh

Bora, Shri Pankaj

Bose, Shri Srinjoy

Budania, Shri Narendra

Chaturvedi, Shri Satyavrat

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Das, Shri Kumar Deepak

Dave, Shri Anil Madhav

Deora, Shri Murli

Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao

Dua, Shri H.K.

Dwivedi, Shri Janardan

Elavarasan, Shri A.

Faruque, Shrimati Naznin

Fernandes, Shri Oscar

Ganguly, Dr. Ashok S.

Gill, Dr. M.S.

Gnanadesikan, Shri B.S.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Prem Chand

Hema Malini, Shrimati

Husain, Shri Jabir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal

Jain, Shri Meghraj

Jaitley, Shri Arun

Javadekar, Shri Prakash

Jayashree, Shrimati B.

Jethmalani, Shri Ram

Jha, Shri Prabhat

Jinnah, Shri A.A.

Jois, Shri M. Rama

Joshi, Dr. Manohar

Kalita, Shri Bhubaneswar

Karan Singh, Dr.

Keishing, Shri Rishang

Kesari, Shri Narayan Singh

Khan, Shri Mohd. Ali

Khanna, Shri Avinash Rai

Khuntia, Shri Rama Chandra

Kidwai, Shrimati Mohsina

Kore, Dr. Prabhakar

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Krishna, Shri S.M.

Kshatriya, Prof. Alka Balram

Kurien, Prof. P.J.

Lalhming Liana, Shri

Maitreyan, Dr. V.

Malihabadi, Shri Ahmad Saeed

Mallya, Dr. Vijay

Manjunatha, Shri Aayanur

Mathur, Shri Om Prakash

Mishra, Shri Kalraj

Mitra, Dr. Chandan

Mohite Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh

Mungekar, Dr. Bhalchandra

Naidu, Shri M. Venkaiah

Naik, Shri Shantaram

Nandi Yellaiah, Shri

Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

O'Brien, Shri Derek

Pande, Shri Avinash

Pandya, Shri Dilipbhai

Pany, Shri Rudra Narayan

Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Kanjibhai

Pilania, Dr. Gyan Prakash

Prasad, Shri Rajniti

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punj, Shri Balbir

Ram Prakash, Dr.

Ramalingam, Dr. K.P.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Hanumantha

Rashtrapal, Shri Praveen

Ratanpuri, Shri G. N.

Ratna Bai, Shrimati T.

Raut, Shri Sanjay

Ravi, Shri Vayalar

Rebello, Ms. Mabel

Reddy, Shri G. Sanjeeva

Reddy, Dr. T. Subbarami

Roy, Shri Mukul

Roy, Shri Sukhendu Sekhar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupani, Shri Vijaykumar

Sadho, Dr. Vijaylaxmi

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Sai, Shri Nand Kumar

Sangma, Shri Thomas

Seelam, Shri Jesudasu

Selvaganapathi, Shri T.M.

Shafi, Shri Mohammad

Shanappa, Shri K.B.

Shanta Kumar, Shri

Sharma, Shri Raghunandan

Sharma, Shri Satish

Shukla, Shri Rajeev

Singh, Shri Birender

Singh, Shri Ishwar

Singh, Shri Jai Prakash Narayan

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shrimati Maya

Singh, Shri Shivpratap

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Solanki, Shri Kaptan Singh

Soni, Shrimati Ambika

Soz, Prof. Saif-ud-Din

Stanley, Shrimati Vasanthi

Tariq Anwar, Shri

Tarun Vijay, Shri

Thakor, Shri Natuji Halaji

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Dr. Prabha

Thakur, Shrimati Viplove

Thangavelu, Shri S.

Tiriya, Ms. Sushila

Trivedi, Dr. Yogendra P.

Uikey, Miss Anusuiya

Vasan, Shri G.K.

Verma, Shri Vikram

Vora, Shri Motilal

Vyas, Shri Shreegopal

Waghmare, Dr. Janardhan

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Veer Pal Singh

NOES - 42

Achuthan, Shri M.P.

Agrawal, Shri Naresh Chandra

Ansari, Shri Ali Anwar

Ansari, Shri Salim

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baidya, Shrimati Jharna Das

Balagopal, Shri K.N.

Behera, Shri Shashi Bhusan

Chakraborty, Shri Shyamal

Chatterjee, Shri Prasanta

Ganga Charan, Shri

Gupta, Dr. Akhilesh Das

Ismail, Shri K.E.

Jai Prakash, Shri

Kureel, Shri Pramod

Kushwaha, Shri Upendra

Mangala Kisan, Shri

Misra, Shri Satish Chandra

Mohanty, Shri Kishore Kumar

Moinul Hassan, Shri

Mukherji, Dr. Barun

Parida, Shri Baishnab

Pasha, Shri Syed Azeez

Pathak, Shri Brajesh

Pathak, Shri Saman

Pradhan, Shrimati Renubala

Raja, Shri D.

Rajan, Shri P.R.

Rajaram, Shri

Rajeeve, Shri P.

Rangarajan, Shri T.K.

Reddy, Shri M.V. Mysura

Roy, Shri Tarini Kanta

Sahani, Prof. Anil Kumar

Saini, Shri Rajpal Singh

Seema, Dr. T.N.

Sen, Shri Tapan Kumar

Singh, Shri R.C.

Singh, Shri Ramchandra Prasad

Singh, Shri Veer

Tiwari, Shri Shivanand

Yechury, Shri Sitaram

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 1, the Enacting Formula and the Title for consideration. The question is :

That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 152

Noes: 042

Ayes - 152

Adeeb, Shri Mohammed

Adik, Shri Govindrao

Agarwal, Shri Ramdas

Ahluwalia, Shri S.S.

Aiyar, Shri Mani Shankar

Akhtar, Shri Javed

Alvi, Shri Raashid

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Apte, Shri Balavant *alias* Bal

Ashk Ali Tak, Shri

Ashwani Kumar, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi

Badnore, Shri V.P. Singh

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bandyopadhyay, Shri D.

Batra, Shri Shadi Lal

Bernard, Shri A.W. Rabi

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Shri Balwinder Singh

Bora, Shri Pankaj

Bose, Shri Srinjoy

Budania, Shri Narendra

Chaturvedi, Shri Satyavrat

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Das, Shri Kumar Deepak

Dave, Shri Anil Madhav

Deora, Shri Murli

Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao

Dua, Shri H.K.

Dwivedi, Shri Janardan

Elavarasan, Shri A.

Faruque, Shrimati Naznin

Fernandes, Shri Oscar

Ganguly, Dr. Ashok S.

Gill, Dr. M.S.

Gnanadesikan, Shri B.S.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Prem Chand

Hema Malini, Shrimati

Husain, Shri Jabir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal

Jain, Shri Meghraj

Jaitley, Shri Arun

Javadekar, Shri Prakash

Jayashree, Shrimati B.

Jethmalani, Shri Ram

Jha, Shri Prabhat

Jinnah, Shri A.A.

Jois, Shri M. Rama

Joshi, Dr. Manohar

Kalita, Shri Bhubaneswar

Karan Singh, Dr.

Keishing, Shri Rishang

Kesari, Shri Narayan Singh

Khan, Shri Mohd. Ali

Khanna, Shri Avinash Rai

Khuntia, Shri Rama Chandra

Kidwai, Shrimati Mohsina

Kore, Dr. Prabhakar

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Krishna, Shri S.M.

Kshatriya, Prof. Alka Balram

Kurien, Prof. P.J.

Lalhming Liana, Shri

Maitreyan, Dr. V.

Malihabadi, Shri Ahmad Saeed

Mallya, Dr. Vijay

Manjunatha, Shri Aayanur

Mathur, Shri Om Prakash

Mishra, Shri Kalraj

Mitra, Dr. Chandan

Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh

Mungekar, Dr. Bhalchandra

Naidu, Shri M. Venkaiah

Naik, Shri Shantaram

Nandi Yellaiah, Shri

Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

O'Brien, Shri Derek

Pande, Shri Avinash

Pandya, Shri Dilipbhai

Pany, Shri Rudra Narayan

Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Kanjibhai

Pilania, Dr. Gyan Prakash

Prasad, Shri Rajniti

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punj, Shri Balbir

Ram Prakash, Dr.

Ramalingam, Dr. K.P.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Hanumantha

Rashtrapal, Shri Praveen

Ratanpuri, Shri G. N.

Ratna Bai, Shrimati T.

Raut, Shri Sanjay

Ravi, Shri Vayalar

Rebello, Ms. Mabel

Reddy, Shri G. Sanjeeva

Reddy, Dr. T. Subbarami

Roy, Shri Mukul

Roy, Shri Sukhendu Sekhar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupani, Shri Vijaykumar

Sadho, Dr. Vijaylaxmi

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Sai, Shri Nand Kumar

Sangma, Shri Thomas

Seelam, Shri Jesudasu

Selvaganapathi, Shri T.M.

Shafi, Shri Mohammad

Shanappa, Shri K.B.

Shanta Kumar, Shri

Sharma, Shri Raghunandan

Sharma, Shri Satish

Shukla, Shri Rajeev

Singh, Shri Birender

Singh, Shri Ishwar

Singh, Shri Jai Prakash Narayan

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shrimati Maya

Singh, Shri Shivpratap

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Solanki, Shri Kaptan Singh

Soni, Shrimati Ambika

Soz, Prof. Saif-ud-Din

Stanley, Shrimati Vasanthi

Tariq Anwar, Shri

Tarun Vijay, Shri

Thakor, Shri Natuji Halaji

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Dr. Prabha

Thakur, Shrimati Viplove

Thangavelu, Shri S.

Tiriya, Ms. Sushila

Trivedi, Dr. Yogendra P.

Uikey, Miss Anusuiya

Vasan, Shri G.K.

Verma, Shri Vikram

Vora, Shri Motilal

Vyas, Shri Shreegopal

Waghmare, Dr. Janardhan

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Veer Pal Singh

NOES - 42

Achuthan, Shri M.P.

Agrawal, Shri Naresh Chandra

Ansari, Shri Ali Anwar

Ansari, Shri Salim

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baidya, Shrimati Jharna Das

Balagopal, Shri K.N.

Behera, Shri Shashi Bhusan

Chakraborty, Shri Shyamal

Chatterjee, Shri Prasanta

Ganga Charan, Shri

Gupta, Dr. Akhilesh Das

Ismail, Shri K.E.

Jai Prakash, Shri

Kureel, Shri Pramod

Kushwaha, Shri Upendra

Mangala Kisan, Shri

Misra, Shri Satish Chandra

Mohanty, Shri Kishore Kumar

Moinul Hassan, Shri

Mukherji, Dr. Barun

Parida, Shri Baishnab

Pasha, Shri Syed Azeez

Pathak, Shri Brajesh

Pathak, Shri Saman

Pradhan, Shrimati Renubala

Raja, Shri D.

Rajan, Shri P.R.

Rajaram, Shri

Rajeeve, Shri P.

Rangarajan, Shri T.K.

Reddy, Shri M.V. Mysura

Roy, Shri Tarini Kanta

Sahani, Prof. Anil Kumar

Saini, Shri Rajpal Singh

Seema, Dr. T.N.

Sen, Shri Tapan Kumar

Singh, Shri R.C.

Singh, Shri Ramchandra Prasad

Singh, Shri Veer

Tiwari, Shri Shivanand

Yechury, Shri Sitaram

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 152

Noes: 042

Ayes-152

Adeeb, Shri Mohammed

Adik, Shri Govindrao

Agarwal, Shri Ramdas

Ahluwalia, Shri S.S.

Aiyar, Shri Mani Shankar

Akhtar, Shri Javed

Alvi, Shri Raashid

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Apte, Shri Balavant *alias* Bal

Ashk Ali Tak, Shri

Ashwani Kumar, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi

Badnore, Shri V.P. Singh

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bandyopadhyay, Shri D.

Batra, Shri Shadi Lal

Bernard, Shri A.W. Rabi

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Shri Balwinder Singh

Bora, Shri Pankaj

Bose, Shri Srinjoy

Budania, Shri Narendra

Chaturvedi, Shri Satyavrat

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Das, Shri Kumar Deepak

Dave, Shri Anil Madhav

Deora, Shri Murli

Deshmukh, Shri Vilasrao Dagadojirao

Dua, Shri H.K.

Dwivedi, Shri Janardan

Elavarasan, Shri A.

Faruque, Shrimati Naznin

Fernandes, Shri Oscar

Ganguly, Dr. Ashok S.

Gill, Dr. M.S.

Gnanadesikan, Shri B.S.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Prem Chand

Hema Malini, Shrimati

Husain, Shri Jabir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal

Jain, Shri Meghraj

Jaitley, Shri Arun

Javadekar, Shri Prakash

Jayashree, Shrimati B.

Jethmalani, Shri Ram

Jha, Shri Prabhat

Jinnah, Shri A.A.

Jois, Shri M. Rama

Joshi, Dr. Manohar

Kalita, Shri Bhubaneswar

Karan Singh, Dr.

Keishing, Shri Rishang

Kesari, Shri Narayan Singh

Khan, Shri Mohd. Ali

Khanna, Shri Avinash Rai

Khuntia, Shri Rama Chandra

Kidwai, Shrimati Mohsina

Kore, Dr. Prabhakar

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Krishna, Shri S.M.

Kshatriya, Prof. Alka Balram

Kurien, Prof. P.J.

Lalhming Liana, Shri

Maitreyan, Dr. V.

Malihabadi, Shri Ahmad Saeed

Mallya, Dr. Vijay

Manjunatha, Shri Aayanur

Mathur, Shri Om Prakash

Mishra, Shri Kalraj

Mitra, Dr. Chandan

Mohite-Patil, Shri Ranjitsinh Vijaysinh

Mungekar, Dr. Bhalchandra

Naidu, Shri M. Venkaiah

Naik, Shri Shantaram

Nandi Yellaiah, Shri

Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

O'Brien, Shri Derek

Pande, Shri Avinash

Pandya, Shri Dilipbhai

Pany, Shri Rudra Narayan

Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Kanjibhai

Pilania, Dr. Gyan Prakash

Prasad, Shri Rajniti

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punj, Shri Balbir

Ram Prakash, Dr.

Ramalingam, Dr. K.P.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Hanumantha

Rashtrapal, Shri Praveen

Ratanpuri, Shri G. N.

Ratna Bai, Shrimati T.

Raut, Shri Sanjay

Ravi, Shri Vayalar

Rebello, Ms. Mabel

Reddy, Shri G. Sanjeeva

Reddy, Dr. T. Subbarami

Roy, Shri Mukul

Roy, Shri Sukhendu Sekhar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupani, Shri Vijaykumar

Sadho, Dr. Vijaylaxmi

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Sai, Shri Nand Kumar

Sangma, Shri Thomas

Seelam, Shri Jesudasu

Selvaganapathi, Shri T.M.

Shafi, Shri Mohammad

Shanappa, Shri K.B.

Shanta Kumar, Shri

Sharma, Shri Raghunandan

Sharma, Shri Satish

Shukla, Shri Rajeev

Singh, Shri Birender

Singh, Shri Ishwar

Singh, Shri Jai Prakash Narayan

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shrimati Maya

Singh, Shri Shivpratap

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Solanki, Shri Kaptan Singh

Soni, Shrimati Ambika

Soz, Prof. Saif-ud-Din

Stanley, Shrimati Vasanthi

Tariq Anwar, Shri

Tarun Vijay, Shri

Thakor, Shri Natuji Halaji

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Dr. Prabha

Thakur, Shrimati Viplove

Thangavelu, Shri S.

Tiriya Ms. Sushila

Trivedi, Dr. Yogendra P.

Uikey, Miss Anusuiya

Vasan, Shri G.K.

Verma, Shri Vikram

Vora, Shri Motilal

Vyas, Shri Shreegopal

Waghmare, Dr. Janardhan

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Veer Pal Singh

NOES - 42

Achuthan, Shri M.P.

Agrawal, Shri Naresh Chandra

Ansari, Shri Ali Anwar

Ansari, Shri Salim

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baidya, Shrimati Jharna Das

Balagopal, Shri K.N.

Behera, Shri Shashi Bhusan

Chakraborty, Shri Shyamal

Chatterjee, Shri Prasanta

Ganga Charan, Shri

Gupta, Dr. Akhilesh Das

Ismail, Shri K.E.

Jai Prakash, Shri

Kureel, Shri Pramod

Kushwaha, Shri Upendra

Mangala Kisan, Shri

Misra, Shri Satish Chandra

Mohanty, Shri Kishore Kumar

Moinul Hassan, Shri

Mukherji, Dr. Barun

Parida, Shri Baishnab

Pasha, Shri Syed Azeez

Pathak, Shri Brajesh

Pathak, Shri Saman

Pradhan, Shrimati Renubala

Raja, Shri D.

Rajan, Shri P.R.

Rajaram, Shri

Rajeeve, Shri P.

Rangarajan, Shri T.K.

Reddy, Shri M.V. Mysura

Roy, Shri Tarini Kanta

Sahani, Prof. Anil Kumar

Saini, Shri Rajpal Singh

Seema, Dr. T.N.

Sen, Shri Tapan Kumar

Singh, Shri R.C.

Singh, Shri Ramchandra Prasad

Singh, Shri Veer

Tiwari, Shri Shivanand

Yechury, Shri Sitaram

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Bill, as amended, was passed by the required majority.

MESSAGE FROM LOK SABHA

Re: Supplementary agenda for Lokpal Bill and the Whistleblower's Protection Bill

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, what about the Supplementary Business for the Lokpal Bill?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is already circulated. No?

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir; the Supplementary Agenda for the Lokpal Bill has not yet come.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But the Supplementary Agenda for the Whistleblower's Protection Bill has come.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, today, we would like to take up the Lokpal Bill first. ...*(Interruption)*... Otherwise, you may take up the Bill tomorrow. I am told that at 5 o'clock, we have to adjourn the House. We can take up the Lokpal Bill tomorrow at 11 o'clock.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, any Bill can be taken up; it is left to the Government. ...*(Interruption)*... My appeal to the hon. Members is...

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, this extension of the Session for three days was for a particular purpose. Now, the Bill is passed in that House and since morning we are waiting for that Bill. We are told that the President of India was not here and to get the signature it took time. But, till now, there is no Supplementary Agenda! If you circulate that, we can take it up right now.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: We have to pass both the Bills—the Lokpal Bill and the Whistleblower's Protection Bill.

SHRI S.S. AHLUWALIA: We will take it up after the Lokpal Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the sense of the House? ...*(Interruption)*...